न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
74/2017	17-03-2021	27/05/2022

उनवान

01. नरेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादी

बनाम

01. गुलाबचन्द पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. तहसीलदार साहब तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

------:: असल प्रतिवादीगण

04. उषा पुत्री गुलाबचन्द पत्नी रोहित जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल निवासी बनवीरपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
05. निशा पुत्री गुलाबचन्द पत्नी अमित जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल निवासी महाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

01. वादी — श्री चिरंजीलाल चावडा

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में हाल आराजी खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.70 है0 का 11/54 हिस्सा, 1543 रकबा 0.88 है0, 1705 रकबा 0.59 है0, 1707 रकबा 1.01 है0 किता 3 कुल रकबा 2.48 है0 का 5/18 हिस्सा, 1709 रकबा 0.70 है0 का 242/1863 हिस्सा आराजीयात मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता असल प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबचन्द की खातेदारी की आराजी है, जो आराजी मिन वादी, तरतीबी प्रतिवादी व असल प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वज से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर मिन वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 1 काबिज व दाखिल है। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण, असल प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक एवं जायज वारिस है। मिन वादी, असल प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र व रामचन्दर का पौत्र है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण, असल प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीयां एवं रामचन्दर की पौत्रियां है। असल प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से प्राप्त उक्त आराजी में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है, जो आराजी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी मिन वादी की एनसेन्ट्रल प्रोपर्टी है, जिसमें मिन वादी का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। विवादित आराजी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी की दादालाई की आराजी है। मिन वादी जन्म से ही विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। असल प्रतिवादीगण संख्या 1 जो कि शराबी, जुआरी व

दीगर लोगों के बहकावे व उकसावे में है तथा उक्त विवादित आराजीयात को बेचान या कोई ईकरारनामा कर उसका बयनामा असल प्रतिवादी संख्या 2 उपपंजीयक तिजारा के यहां पंजीबद्ध कराने की जुस्तजू में है तथा मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को पूर्वजों से प्राप्त विवादित आराजी से बेदखल करने की जुस्तजू में है। जबकि विवादित आराजी में असल प्रतिवादी संख्या 1 की भांति ही मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा व हक हकूक निहित है। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपनी दादालाई की उक्त विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल है एवं मौके पर वास्तविक कब्जा है। मात्र राजस्व रिकार्ड में अमल प्रतिवादी संख्या 1 का अंकन है मिन वादी विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चला आ रहा है, किन्तु असल प्रतिवादी संख्या 1 जो कि शराबी, जुआरी व अय्यास किस्म का व्यक्ति है, जो अन्य लोगो के बहकावे व उकसावे मे है और आये रोज मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजीयात में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर दीगर जगह बेचान करने व बेदखल करने की धमकी देता है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीग द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर, निशा पुत्री गुलाबचन्द पत्नी अमित जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल निवासी महाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0), उषा पुत्री गुलाबचन्द पत्नी रोहित जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल निवासी बनवीरपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) कृष्णा पत्नी गुलाबचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0), हरिराम यादव पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0), धर्मपाल पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इंतकाल संख्या 2229 (प्रदर्श 1), इंतकाल संख्या 2353 (प्रदर्श 2), हाल जमाबन्दी संवत् 2074–77 (प्रदर्श 3) प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली की गई। वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का बाई बर्थ हक, अधिकार व हिस्सा निहित होने के कारण वादी वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आराजी खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.70 है0 का 11/54 हिस्सा, 1543 रकवा 0.88 है0, 1705 रकवा 0.59 है0, 1707 रकबा 1.01 है0 किता 3 कुल रकवा 2.48 है0 का 5/18 हिस्सा, 1709 रकवा 0.70 है0 का 242/1863 हिस्सा पर वादी 1/4 भाग व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 व प्रति0 संख्या 01 की पत्नि कृष्णा को 1/8 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 74/2017 | तारीख दायर 17–03–2021 | तारीख फैसला 27/05/2022

उनवान

01. नरेन्द कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

बनाम

01. गुलाबचन्द पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. तहसीलदार साहब तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: असल प्रतिवादीगण

04. उषा पुत्री गुलाबचन्द पत्नी रोहित जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल निवासी बनवीरपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
05. निशा पुत्री गुलाबचन्द पत्नी अमित जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल निवासी महाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
01. वादी – श्री चिरंजीलाल चावडा

–:: पर्चा डिक्री ::–

वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आराजी खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.70 है0 का 11/54 हिस्सा, 1543 रकबा 0.88 है0, 1705 रकबा 0.59 है0, 1707 रकबा 1.01 है0 किता 3 कुल रकबा 2.48 है0 का 5/18 हिस्सा, 1709 रकबा 0.70 है0 का 242/1863 हिस्सा पर वादी 1/4 भाग व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 व प्रति0 संख्या 01 की पत्नि कृष्णा को 1/8 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0